



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1948 (श10)
(सं० पटना 1224) पटना, बृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2026

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

1 अक्टूबर 2026

एस० ओ० 225, दिनांक 1 अक्टूबर 2026—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 147 दिनांक 7 सितम्बर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, —

1. क्रम सं० 4क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"4क	एभिएशन टरबाइन फ्यूल (RCS एयरपोर्ट पर तथा प्रान्त के भीतर अवस्थित अन्य एयरपोर्ट से RCS उड़ानों के लिए)	शून्य	(क)Regional connectivity scheme के अंतर्गत RCS एयरपोर्ट पर तथा प्रान्त के भीतर अवस्थित अन्य एयरपोर्ट से RCS उड़ानों के लिए, जिनकी सूची, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार तथा तेल कंपनियों को उपलब्ध करायी जायेगी; और/या (ख) गैर-महानगरीय शहरों के हवाई अड्डे को आधार (base) के रूप में उपयोग करने वाले विमानों हेतु, जिनके लिए एयरलायन्स द्वारा गैर-महानगरीय एयरपोर्ट आधारित विमान के कॉल साइन नम्बर को इंगित किया जायेगा।"
-----	--	-------	---

2. अधिसूचना संख्या-एस० ओ० 143 दिनांक 5 फरवरी, 2018, जिसे बिहार गजट संख्या-102 दिनांक 5 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

3. यह अधिसूचना निर्गमन तिथि के अगले दिन से प्रभावी होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2017-3876)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

1 अक्टूबर 2026

एस० ओ० 225, दिनांक 1 अक्टूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2017-3876)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 1st October 2026

S.O. 225, Dated The 1st October 2026—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 14 of Bihar Value Added Tax Act, 2005 (as amended from time to time), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 147, Dated 7th September, 2017, namely:-

In the said notification,-

1. for S.No. 4A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

“4A	Aviation Turbine Fuel (At RCS airports and for RCS flights from other airports located within the state)	Nil	(a) At RCS airports and for RCS flights from other airports located within the state Under Regional Connectivity Scheme, a list of which will be provided by the Airports Authority of India (AAI) to the State Government and Oil Companies; and/or (b) For the aircrafts using a non-metropolitan city airports as a base for which the call sign number of the non-metro airports based aircraft will be indicated by the airlines.”
-----	--	-----	--

2. Notification No. S.O. 143, Dated 5th February 2018, published vide Bihar gazette no.-102 Dated by 5th February 2018, is deemed to be amended upto this extent.
3. This notification shall come into force from the next day of its issuance.

[(File No. Bikri-kar/Sansodhan -02/2017-3876)]

By the order of Governor of Bihar,

Sanjay Kumar Singh,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1224—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>